पत्र संख्या–6 / ब0गै0यो0–01–09 / 2012गृ0आ0...../

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय :– वित्तीय वर्ष 2002–03 से 2015–16 (दिनांक 31.03.2016 तक) की अवधि में ए0सी0 विपत्र से निकासी की गई राशि का लंबित डी0सी0 विपत्र समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्णित अवधि में मुख्य शीर्ष–2055 के अंतर्गत सार विपत्र (ए0सी0 विपत्र) पर निकासी की गई राशि के विरूद्ध लंबित डी0सी0 विपत्र महालेखाकार, बिहार, पटना में जमा कर समायोजन कराने का निदेश दिया गया था। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के प्रभारी पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक भी आहूत की गयी।

मुख्य सचिव द्वारा Video Conferencing के माध्यम् से सप्ताहिक बैठक में लंबित ए0सी0 विपत्रों को ससमय समायोजन करने का निदेश भी दिया जाता रहा है, किन्तु इसके बावजूद भी संबंधित पुलिस जिला द्वारा लंबित ए0सी0 विपत्र का शत प्रतिशत समायोजन अब तक नहीं कराया जा सका है।

मुख्य सचिव के आदेशानुसार ए0सी0 विपत्र किसी भी मद में यदि लंबित हो तो संबंधित जिला को कोई आवंटन नहीं दिया जायेगा। दिनांक 29.07.2016 को प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निदेश दिया गया है कि जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पास लंबित अवधि से ए0सी0 विपत्र लंबित है, उन्हें चिन्हित कर उनपर विभागीय कार्रवाई किया जाय।

विदित है कि वित्त विभाग के संकल्प सं0–4332, दिनांक02.05.2013 द्वारा यह सूचना दी गई है कि बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–380 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01.10.2011 से 31.12.2012 तक के ए0सी0 विपत्रों के विरूद्ध लंबित डी0सी0 विपत्र सीधे महालेखाकार कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुविधानुसार कोषागार या महालेखाकार कार्यालय में डी0सी0 विपत्र जमा कर सकते है।

सीधे महालेखाकार को समर्पित एवं सामंजित डी0सी0 विपत्र की सूचना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार पदाधिकारी को अवश्य दी जायेगी ताकि सी0टी0एम0आई0एस0 से लम्बित ए0सी0 विपत्र की स्थिति को हटाया जा सके।

अतः वर्णित परिपेक्ष्य में पुनः स्मारित करते हुए निदेश है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा विभिन्न पुलिस अधीक्षकों को आवंटित राशि के अंतर्गत लंबित ए0सी0 विपत्र की राशि का शत–प्रतिशत समायोजन यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाय एवं जिन जिलों के पास मुख्य शीर्ष 2055–पुलिस के अंतर्गत ए0सी0 विपत्र लंबित है, वैसे पुलिस अधीक्षकों के आवंटन पर रोक लगायी जाय, जब तक लंबित ए0सी0 विपत्र शून्य नहीं हो जाय।

सुलभ प्रसंग हेतु लंबित ए0सी0 विपत्र की राशि का शीर्षवार विवरण पत्र के साथ आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6 / बजट डी0सी0 विपत्र–01–009 / 2012गृ0आ0 9307 पटना, दिनांक 28/11/16

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना / सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, गृह विभाग / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव
25.11.16